–: आदेश :–

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (2) में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत प्रदेश की ऐसी समस्त क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, केन्द्रीय सहकारी समितियों, संस्थाओं एंव संघो जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन योग्य समितियों में उक्त अधिनियम की धारा 29 (3) तथा आरक्षण सन्दर्भ में सपठित नियमावली, 2004 के नियम 415 एवं उत्तराखण्ड सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 यथा संशोधित 2024 के नियम 28 अन्तर्गत निर्वाचन करवाया जाना आवश्यक है।

अतः उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 यथा संशोधित की धारा 29 (3–क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य में पंजीकृत समस्त प्रकार की क्रय–विक्रय सहकारी समितियों, जिला स्तरीय/केन्द्रीय सहकारी समितियों, संस्थाओं एंव संघो जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु एतदद्वारा निम्नानुसार निर्वाचन तिथियां निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	सहकारी समिति का प्रकार	सामान्य निकाय के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथियां।	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की निर्वाचन तिथियां।	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों हेतु निर्वाचन तिथियां।
1	समस्त क्रय–विक्रय सहकारी समितियां	–	19.05.2026	20.05.2026
2	समस्त अन्य प्रकार की विशेष केन्द्रीय सहकारी समितियां	30.05.2026	09.06.2026	10.06.2026
3	समस्त केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार	20.06.2026	29.06.2026	30.06.2026
4	समस्त जिला सहकारी संघ		13.07.2026	14.07.2026
5	समस्त जिला सहकारी बैंक		28.07.2026	29.07.2026

नोट– उक्तानुसार निर्धारित निर्वाचन तिथियों का कार्यक्रम पृथक से जारी किया जायेगा।

13/03/2026

(हंसा दत्त पाण्डे)
अध्यक्ष,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक–1200–09/केन्द्र0समि0निर्वा0अधि0/सह0नि0प्रा0/2025–26 दिनांक 13 मार्च 2026।

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/उप निबन्धक सहकारी समितियां, गढवाल/कुमाऊ।
9. समस्त जिला सहायक निबन्धक/ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कार्यालय प्रति निर्वाचन प्रकोष्ठ।

(रमिन्द्री मन्द्रवाल)
सचिव,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C